T.S. No - 16/EE/2024-25   DF- 04.03.2025

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

अपार शक्तेः स्त्रौतः गंगेयम्

|| अपार शक्तेः स्त्रौत गंगेयम ||

सिंचाई बढ़ाएं खुशहाली लाएं।

जिला योजना मद के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में ग्राम रांथी के तोक जलघर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।

अनुमानित लागत : रू0 15.00 लाख

वर्ष : 2024—25

सिंचाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़।

सिंचाई खण्ड, धारचूला।

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

योजना का नाम :– जिला योजना मद के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में ग्राम रांथी के तोक जलघर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।

आख्या

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 7,218 वर्ग किमी0 है। जनपद के पूर्वी छोर में बहने वाली काली नदी जनपद की मुख्य नदी है। इसका उद्‌गम स्थल हिमालयी ग्लेशियर है। जनपद के पूर्वी छोर में यह नदी भारत–नेपाल सीमा का निर्धारण करती है।

धारचूला, उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ का सीमान्त एवं दुर्गम विकासखण्ड है। ग्राम रांथी , जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़–धारचूला–तवाघाट–कन्च्योति–सोबला–दर–दुग्तु–तिदांग मोटर मार्ग पर धारचूला विकासखण्ड से 15 किमी0 की दूरी पर दारमा वैली में स्थित हैं। विगत वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानसूनकाल में हुई अतिवृष्टि के कारण विकासखण्ड धारचूला के ग्राम रांथी के तोक जलघर मे काली नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया था जिससे रांथी के तोक जलघर में भूमि का कटाव हुआ तथा भविष्य में भी इस नदी के बहाव से ग्राम रांथी के तोक जलघर मे आवासीय भवनों, कृषि भूमि एवं आबादी को से कटाव एवं जनहानि होने का खतरा बना हुआ है। अतः ग्राम रांथी के तोक जलघर की सुरक्षा हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की प्रबल मॉग पर ग्राम रांथी के तोक जलघर के दांयें पार्श्व पर कटाव–निरोधक कार्य शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है।

आगणन के अर्न्तगत 110.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 ऊॅचाई में कटाव निरोधक कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसके अर्न्तगत 3.00x1.50x1.50 मी0 साइज के वायरकेट 2 लेयरों में लगाकर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य जाना प्रस्तावित है जिससे आगामी वर्षाकाल से पूर्व सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कर उक्त ग्राम को सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

आगणन का गठन पी0डब्लू0डी, उत्तराखण्ड की ऑनलाइन स्वीकृत ब्लॉक धारचूला की दरों के अनुसार वर्ष 2024–25 दिनांक 24.08.2024 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी सम्मिलित करते हुए किया गया है जिसकी अनुमानित लागत रु0 15 लाख आंकलित की गयी है।

स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों की प्रबल मांग पर आगणन का गठन किया गया है। अतः उक्त के कम में यह आगणन शीघ्र वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रबल संस्तुति सहित प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई खण्ड, धारचूला

A.A.E

धन सिंह धामी
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत धारचूला (पिथौरागढ़)

कार्यालय : विकासखण्ड धारचूला
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)
मो: 9410488870

क्र. प्रमो........................ दिनांक 17.5.2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, धारचूला

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में जिला योजना वर्ष 2024–25 के तहत योजनायें सम्मिलित कराये जाने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि जिला योजना के तहत विकासखण्ड धारचूला में निम्नलिखित योजनाओं को जिला योजना वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित करने का कष्ट करेगें, जो निम्न प्रकार है–

1. जलघर (ग्प्रम सभा रॉथी) में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।
2. न्यू (सुवा) में मकानों के नीचे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।
3. खौतिला में मोहन दत्त भट्ट जी के मकान के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।

(धन सिंह धामी)
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत धारचूला

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांकः 744 /जि0यो0–7/प्र0वि0स्वी0/2024–25 दिनांकः 21 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 01/168/रा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्राविधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किश्त में अनुदान संख्या–07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रू0, अनुदान संख्या–30 एस0सी0पी0 हेतु 1712.40 लाख रू0 तथा अनुदान संख्या – 31 टी0एस0पी0 हेतु 425.70 लाख रू0 इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रू0 अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन पर रखा गया है।

राजकीय सिंचाई धारचूला विभाग का जि0यो0 2024–25 हेतु अनुमोदित परिव्यय रू0 125.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला को प्रथम किश्त हेतु कुल 79.50 लाख रू0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 206/29.07.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा द्वितीय किश्त हेतु धनराशि 45.50 लाख रू0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है –

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद/कार्य का नाम/सं0	2024–25 हेतु अनुमोदित परिव्यय				प्रथम किश्त हेतु निर्गत धनराशि	द्वितीय किश्त हेतु धनराशि की मांग			
		सा0	एस0सी0पी0	टी0एस0पी0	कुल योग		सा0	एस0सी0 पी0	टी0एस0 पी0	कुल योग
1	नहर निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य/ 12 सं0	40.77	4.00	-	44.77	20.57	15.00	0.00	0.00	15.00
2	बाढ़ सुरक्षा/कटाव निरोधक कार्य/ 20 सं0	31.08	21.00	25.00	77.08	55.78	6.50	21.00	3.00	30.50
3	उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार कार्य/ 01 सं0	3.15	-	-	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	75.00	25.00	25.00	125.00	79.50	21.50	21.00	3.00	45.50

कार्यो का विवरण –

क0सं0	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	कार्य के टेण्डर की धनराशि	कार्य में 2023–24 तक प्राप्त धनराशि	कार्य में 2023–24 तक व्यय धनराशि	वर्ष 2024–25 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2024–25 में प्रथम किश्त हेतु प्राप्त धनराशि	वर्ष 2024–25 में द्वितीय किश्त हेतु धनराशि की मांग	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं धनराशि मांग का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत चालू योजनाएं :–								
1	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सोबाई नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	22.05	22.05	17.05	17.05	1.30	1.30	-	-
2	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड धारचूला के अन्तर्गत उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार एवं रेन वाटर हारवेस्टींग टैंक के निर्माण की योजना। (सामान्य)	26.50	24.90	21.75	21.75	3.15	3.15	-	-
	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत योजनाएं :–								
3	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत खुमती नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	18.00	18.00	8.23	8.23	6.77	6.77	-	-
4	विकासखण्ड धारचूला में एलागाड नाले के दांये पार्श्व पर स्थित ग्राम बवाखा जुम्मा तोक सौडा मणगोल्ला की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	12.00	7.25	7.25	4.75	4.75	-	-
5	विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत गाजकोट नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	15.00	11.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
6	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम धारपांगु में टीखापी नाले में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	-	-
7	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम जोशा के तोक मुखियाबीर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	-
8	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम तोमिक में गुरुग सेली में भवनों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी0एस0पी0)	15.00	15.00	12.00	12.00	3.00	3.00	-	-
9	विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम तल्ला धोपटटा के पास गलथोल्टा नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी0एस0पी0)	15.00	15.00	10.50	10.50	4.50	4.50	-	-

... 2022–23 हेतु स्वीकृत योजनाएं :–

10	विकासखण्ड धारचूला में बलुवाकोट कस्बे के गुर्दियां घाट में तोक जौलजीबी के मकानों एवं कृषि भूमि की नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
11	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम रिंगू में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
12	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम कफौटी के तोक गुफरूम में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
13	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम सिरतम में कटाव निरोधक कार्य। (टी०एस०पी०)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
14	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम गो में कटाव निरोधक कार्य। (टी०एस०पी०)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
15	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम बलुकोट के तल्ला घोरपट्टा में कटाव निरोधक कार्य। (टी०एस०पी०)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
16	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम सरमोली के तोक नया बस्ती तल्ला में आवासीय भवनों के पास भालूडोल्टा नाले में कटाव निरोधक कार्य। (टी०एस०पी०)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-
	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :–								
17	विकास खण्ड धारचूला में बलुवाकोट के घेर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
18	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम दल में थोथा नाले में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
19	विकासखण्ड धारचूला में लिमुवा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (सामान्य)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
20	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम बरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
21	विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम टिमटिया में ओसगा गधेरे में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या–31 टी०एस०पी०)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-
	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत योजनाएं :–								
22	विकासखण्ड मुनस्यारी में सेविला नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	10.00		-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
23	विकासखण्ड धारचूला में बन्दरखेत नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	12.50		-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
24	विकासखण्ड धारचूला में डुगातोली नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	15.00		-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
25	विकासखण्ड धारचूला में पयानगांव नहर के मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य। (सामान्य)	14.00		-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत एवं नहर के विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
26	विकास खण्ड धारचूला में ग्राम पांगी के तोक जलधर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	15.00		-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान–माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
27	विकास खण्ड धारचूला में ग्राम बलुवाकोट के घोरनाव में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	9.80		-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान–माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
28	विकासखण्ड मुनस्यारी में कफौटी नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	14.00		-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
29	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम दरांती में सुरक्षात्मक / नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	15.00		-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान–माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
30	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम जेती में सुरक्षात्मक / नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	12.00		-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान–माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।
31	विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सिगलपड़ की भुजगढ़ नदी से कटाव निरोधक कार्य।(अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	10.00		-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान–माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावंटन अपेक्षित है।

32	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम बरम के तोक मजेत की कालीनदी से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	9.80		-	-	3.00	-	3.00	मानवबस्तियों के जान माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
33	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी मे उमड़ी मे कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या–30 एस०सी०पी०)	8.00		-	-	3.00	-	3.00	मानवबस्तियों के जान माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
34	विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम रिंगटिया के तोक तल्ला रिंगटिया की रामगंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या–31 टी०एस०पी०)	10.00		-	-	3.00	-	3.00	मानवबस्तियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
	योग	429.65	240.45	148.37	148.37	125.00	79.50	45.50	

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024–25 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/रा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू0 45.50 लाख (पैंतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

2– उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।

3– स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

4– जिन कार्यो का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नही है उन कार्यो पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्वता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6– प्रश्नगत कार्यो के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यो पर व्यय किया जायेगा।

7– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया मे अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

8– इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

9–उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।

10–सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व–पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

11– जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।

12– उत्तराखण्ड शासन वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

13– जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

14– किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।

16– स्वीकृत कराये जा रहे कार्यो के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17– जिन कार्यो को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यो में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यो की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

18–विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये है।

19– उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।

J– इस सम्बन्ध म हान वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

21– अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22–अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरषः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला की होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संख्याः जि0यो0–7/प्र0वि0स्वी0/2024–25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला।
2. कोषाधिकारी, धारचूला जनपद– पिथौरागढ़।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA
IRRIGATION SUB DIVISION-I DHARCHULA

FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.

SALIENT FEATURES

1 Name of Project		FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.
2 Name of District		Pithoragarh
3 Name of River/Nala		kali river
4 Area affected		
a) Houses		10 Nos (approx)
b) Land		0.5 Ha
5 Length of Proposed work in mtr		111 M
6 Main works to be done under this project		111 M P/Wall in 2 Layers of Wire Crates of 3.00x1.50x1.50 M in Size @ 8 Gauge BWG.
7 Cost of Scheme	Rs	15.00 Lacs

Assistant Engineer
I.D. Dharchula

Executive Engineer
I.D. Dharchula

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA
IRRIGATION SUB DIVISION-I DHARCHULA

FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.

Abstract of Cost

S.No.	Items of Work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	**A-Preliminary**					
	Surveying and levelling work	0.000	Km	₹ 0.00	Km	₹ 0.00
					Total	**₹ 0.00**
2	**B- Land**					
		0.00	Ha	₹ 0.00	Ha	₹ 0.00
					Total	**₹ 0.00**
3	**C - Works**					
(i)	Wire Crate of size 3.00x1.50x1.50 m @ 8 Gauge BWG.	499.50	Cum	₹ 2,373.40	Cum	₹ 11,85,513.30
					Total (C)	**₹ 11,85,513.30**
4	**L-Earthwork**	174.83	Cum	₹ 491.50	Cum	₹ 85,928.95
					Total (L)	**₹ 85,928.95**
					Total (E=C+L)	**₹ 12,71,442.25**
					Add 18% G.S.T.	**₹ 2,28,859.61**
					Grand Total	**₹ 15,00,301.86**
					Say	**Rs 15 Lacs**

Checked

JE/AAE
I.D. Dharchula

Assistant Engineer
I.D. Dharchula

Executive Engineer
I.D. Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक संख्या 744 / जि0यो0–7 / प्रा0वि0स्वी0 / 2024–25 दिनांक 21.02.2025 के सन्दर्भ मे जिला योजना मद 2024–25 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड धारचूला मे ग्राम रांथी के तोक जलघर मे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (सामान्य) का प्राविधिक आगणन की कुल लागत रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के समय उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों / शर्तो का पालन करते हुए स्वीकृत योजना में प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययाधिक्य न किया जाए।

उक्त प्राविधिक स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक रजिस्टर में कम संख्या– 16/EE/2024-25 दिनांक 04.03.2025 में अंकित की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला।

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA
IRRIGATION SUB DIVISION-I DHARCHULA

FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.

DETAILS OF MEASUREMENT

S. N.	Item of Work	No.			Measurement			Qty	Unit
					Length (m)	Width (m)	Height (m)		
1	E/W in Excavation in foundation	1	x	37	3.00	1.75	(0.80+1.00)/2	174.83	Cum
							Total	**174.83**	**Cum**
2	Wire Crate of size 3.00x1.50x1.50 m @ 8 gauge BWG.								
	Ist layer	1	x	37	3.00	1.50	1.50	249.75	Cum
	2nd layer	1	x	37	3.00	1.50	1.50	249.75	Cum
							Total	**499.50**	**Cum**

JE/AAE
I.D. Dharchula

Assistant Engineer
I.D. Dharchula

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA
IRRIGATION SUB DIVISION-I DHARCHULA

FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.

ANALYSIS OF RATES

Block : 50-Dharchula

S. N.	Item code	Item description	Rate	Unit	Index rate (%)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	491.50	Cum	0.00	0.00	491.50
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	2373.40	Cum	0.00	0.00	2373.40

Rates checked

JE/AAE
I.D. Dharchula

Assistant Engineer
I.D. Dharchula

Executive Engineer
I.D. Dharchula

PWD UTTARAKHAND

SCHEDULE OF RATES

SOR :- MISCELLANEOUS

For Block 50 Dharchula

Year :- 2024-25

Effective From:-24-08-2024

Sl. No.	Description	Rate	Unit
CHAPTER-1	**- General Items**		
1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useinng Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.40	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.40	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer) Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	132.60	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause 1603.2.	323.60	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	63.70	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	491.50	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	2,578.20	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	4,600.10	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royality, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,155.40	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,739.20	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders, as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,178.50	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,373.40	Cum

AAE

Sl. No.	Description	Rate	Unit
CHAPTER-1	**- General Items**		
1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useinng Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.40	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.40	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer) Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	132.60	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause 1603.2.	323.60	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	63.70	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	491.50	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	2,578.20	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	4,600.10	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royality, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,155.40	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,739.20	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,176.50	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,373.40	Cum

A.A.E

FLOOD PROTECTION WORK AT VILLAGE RANTHI TOK JALGHAR IN DHARCHULA BLOCK OF DISTT. PITHORAGARH UNDER HEAD ZILA YOZNA.

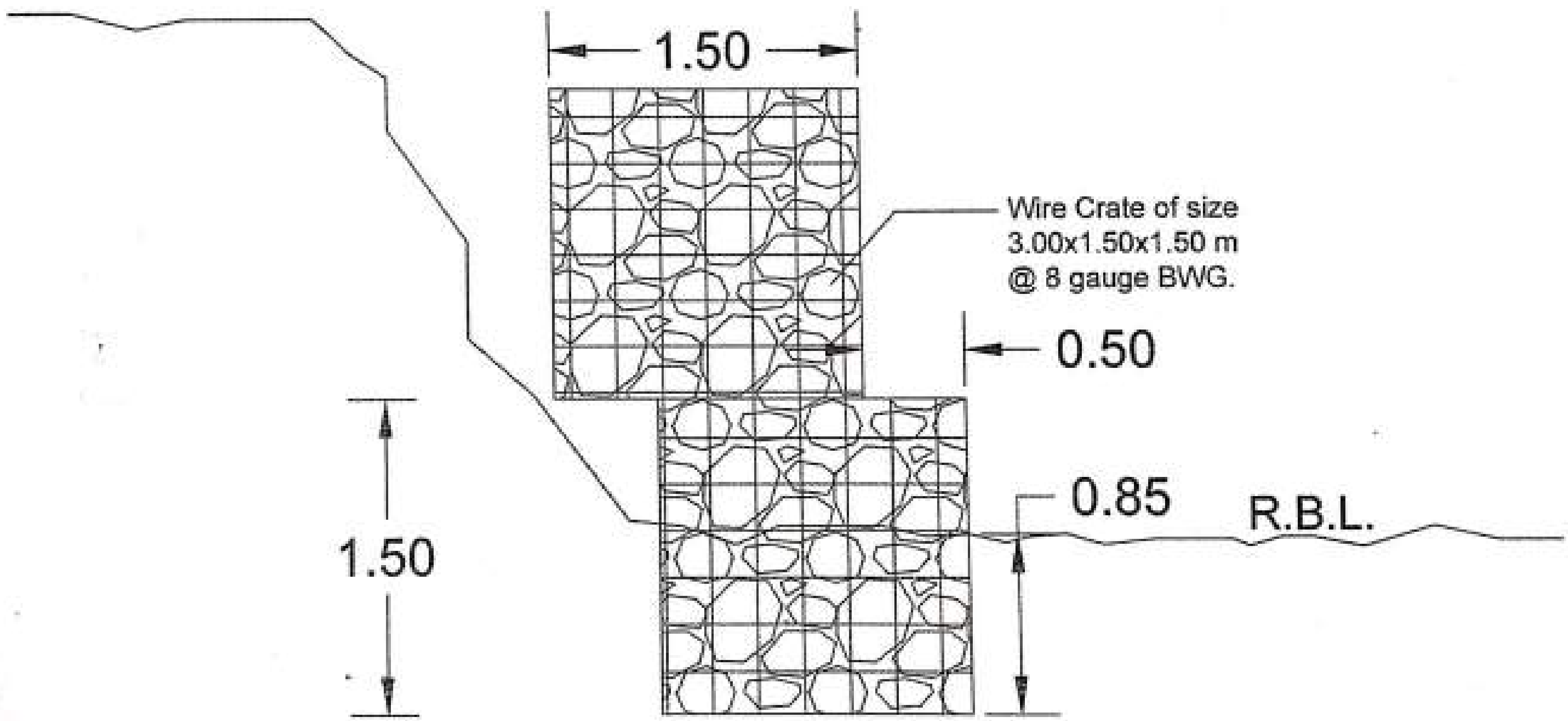

JE/A.A.E	AE	E.E
I.D.Dharchula	I.D.Dharchula	I.D.Dharchula

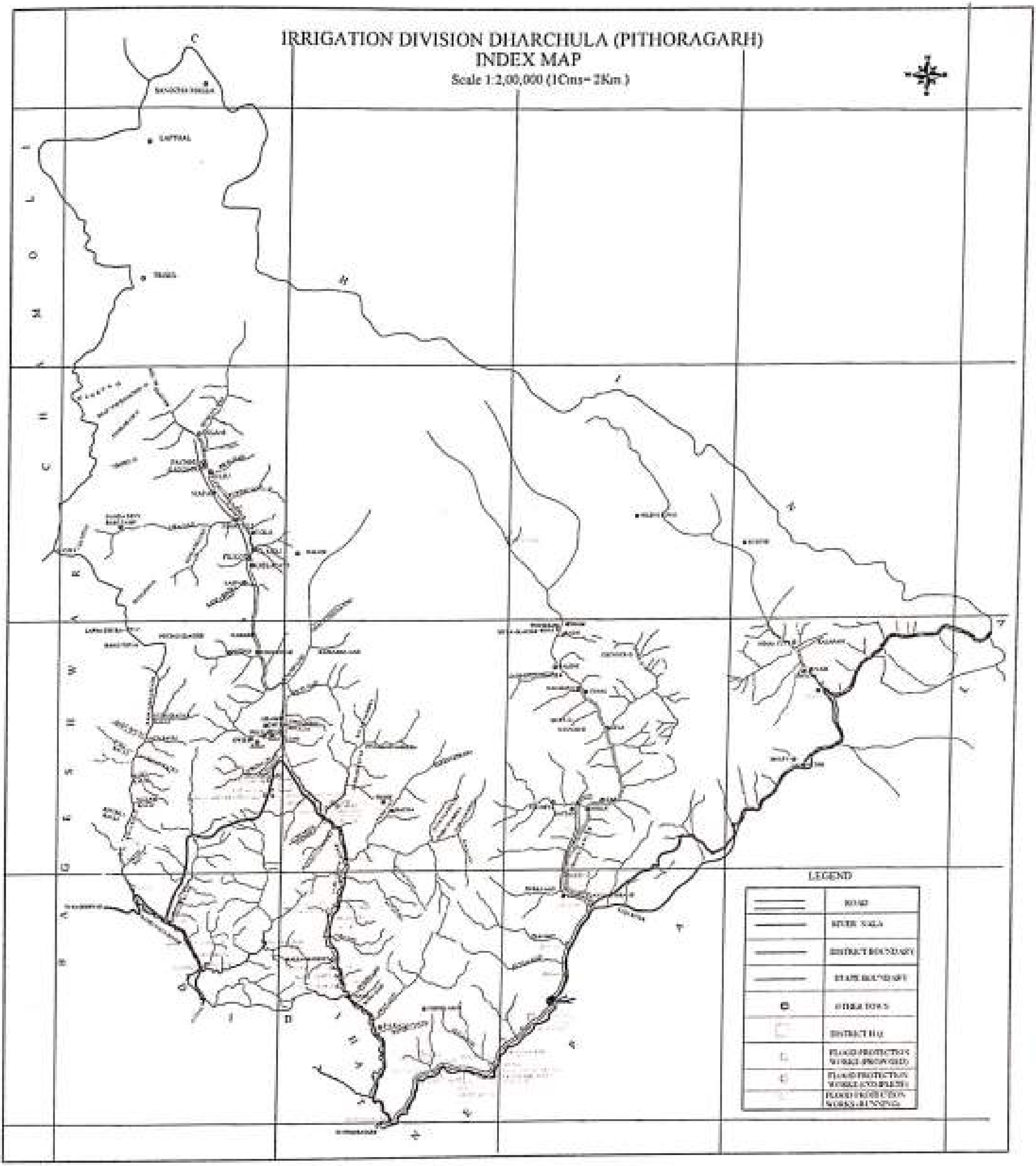
IRRIGATION DIVISION DHARCHULA (PITHORAGARH)
INDEX MAP
Scale 1:2,00,000 (1Cms= 2Km.)
LEGEND
RIVER NALA
DISTRICT BOUNDARY
DISTRICT H.Q.

A.A.E

जिला योजना मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचू
मे ग्राम रांथी के नाक जलधार मे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।

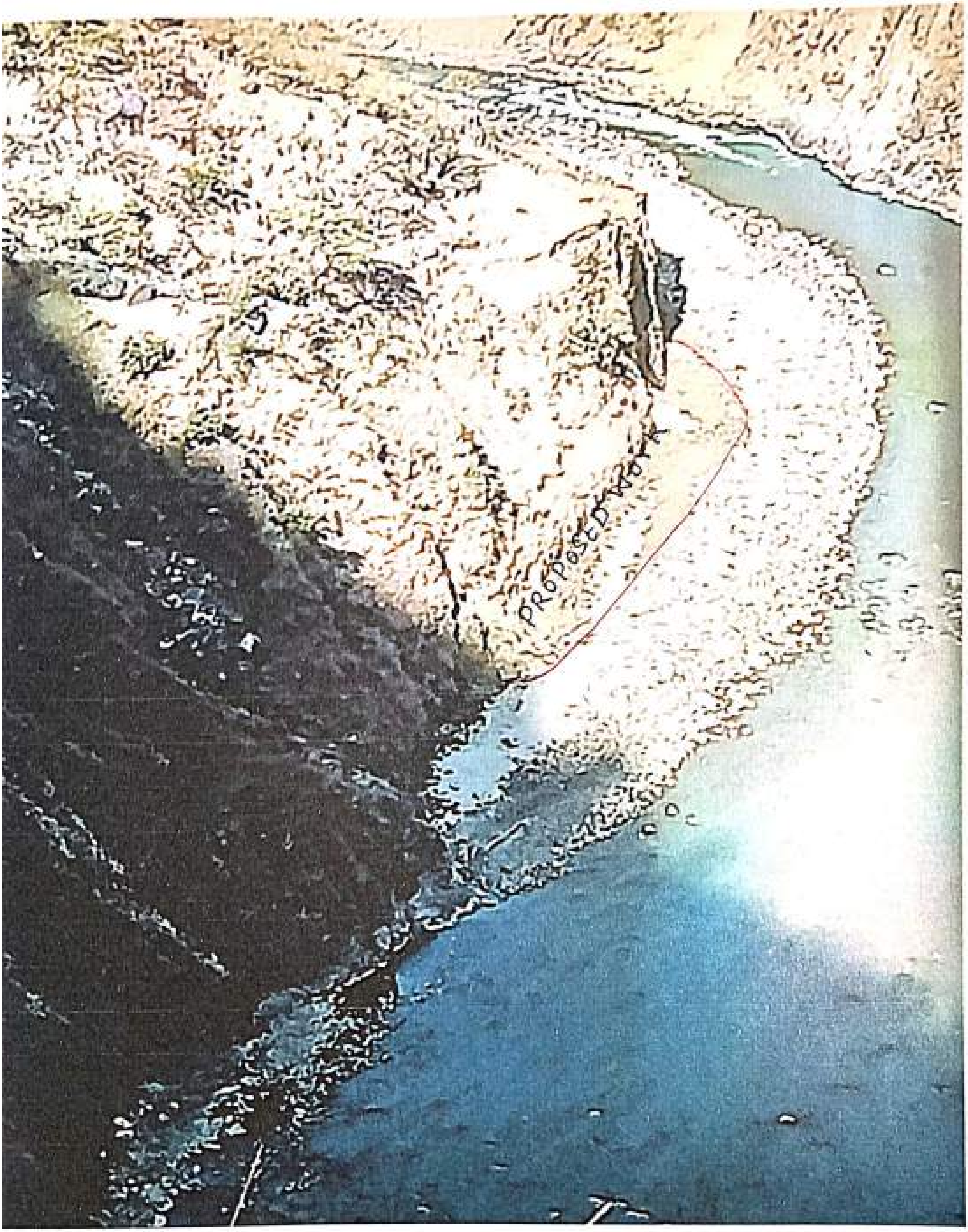

A.A.E

जिला योजना मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला
मे ग्राम रांथी के लोक जलधर मे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य ।

A.A.E